कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढबास जिला अलवर

क्रमांकः–3375   दिनांकः–24.9.18

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला अलवर

विषय- सम्पर्क परिवाद श्री ज्ञानेश के संबंध में।
प्रसंग- .सम्पर्क परिवाद क्रमांक 09180674326381 व 09180674337913 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंग के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रसांगिक परिवाद वाक्यात मुकदमा 702/18 धारा 323,341,342,506,34 भादस थाना बहरोड इस प्रकार है कि दिनांक 26-8-18 को श्री देशराज पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह जाति यादव उम्र 38 साल निवासी सैनसुख मोहल्ला (Dysp ऑफिस के पीछे) बहरोड थाना बहरोड ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आश्य की थाना बहरोड पर पेश की कि आज दिनांक 26-8-18 को अपने गांव बहरोड मे समय लगभग 10.30 एम पर बाजार मे खरीददारी करने बस स्टेण्ड आया था यहां ओवरब्रिज के नीचे साईड मे मैने अपनी गाडी खडी कर दी जब खरीददारी कर वापिस आया तो धर्मपाल HC (ट्रेफिक) ने मुझे बेहद असभ्य अशिष्ट तरीके से धमकाते हुये भाग जाने के लिये कहा मैने उस HC को अगर गाडी गलत है तो नम्बर नोट कर चालान काटने हेतु कह दिया । वह फिर भी असभ्य भाषा मे बात करने लगा तो मैने उसे चेताया इतने मे ही एक होमगार्ड कानि. खेमचन्द और जीवनराम ने बिना कुछ पुछे मुझे पकडकर HC धर्मपाल के साथ बांस डण्डे से पैरो पर मारना शुरू कर दिया मैने उन्हे अपनी परिचय भी दिया कि मै भी पुलिस विभाग मे हूँ फिर भी उन्होने अपने होमगार्ड एक और साथी पुलिस कानि. जिसे मे देखकर पहचान सकता हूँ आते ही मारना पीटना शुरू कर दिया और वहां स्थित एक ट्रेफिक गुमटी मे ले जाकर बन्द कर गाली गलौच और मारपीट करने लगे वहां पर महेन्द्र पत्रकार, प्रवीण यादव रिवाली के मोजूद थे जिन्होने भी पुलिस वालो को बताया लेकिन वो लगातार गुमटी मे बन्द कर मारपीट करने लग गये जब लोगो ने हल्ला मचाना शुरू किया कि मारोगे क्या तब एक कानि. होमगार्ड खेमचन्द ने अपनी शर्ट/वर्दी फाडने का झूठा आरोप लगाकर लोगो को कहने लगे कि हमारी वर्दी पर हाथ डाला है और हमे गाली दे रहा है इसलिये हम इसको मारेंगे और बन्द करेंगे इस प्रकार इन पुलिसकर्मियों धर्मपाल HC , खेमचन्द, जीवनराम , एक अन्य कानि. जो ड्यूटी पर आया था और एक अन्य होमगार्ड जिसको मै देखकर पहचान सकता हूँ ने न केवल मेरे साथ स्वेच्छा से मारपीट कर हानि पहुंचायी बल्कि गुमटी के अन्दर तो खेमचन्द ने गला दबाकर मारने की कोशिश भी की मेरे दाहिने पैर के

क

Scanned by CamScanner

घुटने, बांये पैर, पीठ पर इन्होने बुरी तरह से मारपीट की यह न केवल एक अपराध है बल्कि बहरोड थाना संबंधित पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे मे बया करता है कि जाम व्यवस्था सम्भालने के यह लोग किसी भी आम आदमी को मारपीट कर सकते है यदि मेरी जगह कोई सामान्य नागरीक होता तो मै कल्पना नही कर सकता कि उसके के साथ क्या बीतती इनके खिलाफ उपर्युक्त धाराओ मे 307,303,341,342,34 भादस मे दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जावे आदि पर मु.न. 702/18 धारा 323,341,342,506,34 भादस मे कायम कर सर्वप्रथम तफतीश श्री भरतलाल निरीक्षक थानाधिकारी बहरोड द्वारा की गई दौराने तफतीश बयान मुस्तगीस लिये गये व घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया गया। तत्पश्चात मुकदमा हाजा की पत्रावली श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के आदेश क्रमांक 17937- 40 दिनांक 26-8-18 की पालना मे अनुसंधान हेतु श्री राजेश मलिक तत्तकालिन वृत्ताधिकारी किशनगढबास को प्राप्त हुई। दौराने तफतीश बयानात गवाहन महेन्द्र पत्रकार व प्रवीण यादव लिये गये व घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया गया व परिवादी द्वारा घटना की एक विडियो सी.डी पेश की जिसको जरिये फर्द जप्ती कर शील मोहर कर मार्का A अंकित किया गया व 65 बी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात मुकदमा हाजा की पत्रावली मन वृत्ताधिकारी को प्राप्त हुई मन वृत्ताधिकारी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की कानुन व्यवस्था ड्यूटी मे व्यस्त हूं मुकदमा हाजा मे अनुसंधान जारी है।

वृत्ताधिकारी

किशनगढबास

Scanned by CamScanner